



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 217]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 9 मई 2013—वैशाख 19, शक 1935

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मई 2013

क्र. एफ-1-1-2013-1-उनसठ.—राज्य शासन, एतद्वारा दिनांक 3 अप्रैल 2013 को जारी एवं अधिसूचित “मध्यप्रदेश प्री आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग परीक्षा (म. प्र. पाहुन्ट) स्नातक प्रवेश परीक्षा नियम 2013” में निम्नलिखित संशोधन करता है:—

संशोधन

- नियम 3.1 (1) की प्रथम पंक्ति में “आवेदन-पत्र” के स्थान पर “ऑनलाइन आवेदन-पत्र” प्रतिस्थापित किया जाता है।
- नियम 3.1 (2) की प्रथम पंक्ति में “अध्यर्थी द्वारा मण्डल को प्रेषित किये जाने वाले फार्म अर्थात् ओ. एम. आर. आवेदन-पत्र” के स्थान पर “अध्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र” प्रतिस्थापित किया जाता है।
- नियम 3.1 (4) में “दो माह” के स्थान पर “तीन माह” प्रतिस्थापित किया जाता है।
- नियम 3.2 की प्रथम पंक्ति में “आवेदन-पत्र” के स्थान पर “ऑनलाइन आवेदन-पत्र” प्रतिस्थापित किया जाता है।

No. F-1-1-2013-1-LIX.—The State Government hereby makes following amendments in the “Madhya Pradesh Pre Ayurved Homoeopathy, Unani, Naturopathy & Yoga Test (MP PAHUNT) Undergraduate Entrance Examination Rules, 2013” issued and notified on 3rd April 2013.

AMENDMENT

- In the first line of rule 3.1 (1), “online application form” is substituted for “application form”.
- In the Second line of rule 3.1 (2), “online application form” is substituted for “O.M.R. Sheet”.
- In the first line of rule 3.1 (4), “three months” is substituted for “two months”.
- In the first line of rule 3.2, “online application form” is substituted for “application form”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशि खन्नी, उपसचिव,